बड़ौदा यू.पी.बैंक
Baroda U.P. Bank

प्र0का0/03/बी0आर0/मासंप्र/पें0प्र0/2022–23/223

दिनांकः 31 अक्टूबर 2022

परिपत्र समस्त शाखाओं/कार्यालयों हेतु
मानव संसाधन प्रबंध विभाग द्वारा निर्गत

प्रिय महोदय,

विषयः **बैंक के पेंशनधारकों एवं कुटुंब पेंशनधारकों द्वारा जीवित प्रमाणपत्र का डिजिटल प्रस्तुतीकरण**

आप अवगत हैं कि पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसी क्रम में हमारे बैंक ने पेंशन वितरण में आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन पालन करते हुए, विगत वर्ष की भांति पेंशनधारकों एवं कुटुंब पेंशनधारकों से (तीनों पूर्ववर्ती ग्रामीण बैंक) वांछित जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण की डिजिटल व्यवस्था की है। इस हेतु बैंक को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (**PSA**) एवं पेंशन वितरण प्राधिकरण (**PDA**) के तौर पर **जीवन प्रमाण पोर्टल** पर पंजीयन प्राप्त है और बैंक का नाम पोर्टल पर प्रदर्शित है। इस प्रकार हमारे सभी पेंशनर व परिवार पेंशनर आनलाइन जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। **जीवन प्रमाण पोर्टल** के माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अग्रांकित है–

जन सुविधा केन्द्र द्वारा– जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनर को अपने किसी निकटतम स्थान पर स्थित सुविधादाता अथवा जन सुविधा केन्द्र से संपर्क करना होगा। जीवित प्रमाण पत्र की प्रक्रिया ठीक वही है जो कि भविष्य निधि संगठन को **EPS-95** के अन्तर्गत प्राप्त हो रही पेंशन हेतु जीवित प्रमाण पत्र के लिए अपनाई जाती है। **यह इस प्रकार है–** जन सुविधा केन्द्र संचालक जीवन प्रमाण के एप्लीकेशन पर पेंशनर का **आधार नं0, मोबाइल नं0 एवं ई–मेल** भर कर जनरेट ओ.टी.पी. पर क्लिक करेगा। पेंशनर के मोबाइल पर प्राप्त ओ.टी.पी. को भरने पर नया स्क्रीन खुलेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण भरना होगा–

- पेंशनर का नाम – नाम भरें • पेंशन का प्रकार – Service अथवा Family जो भी पेंशन हो चुनें।
- **Sanctioning Authority, * Disbursing Authority * Agency (तीनों)** के नाम में लिस्ट में से **"बड़ौदा यू0 पी0 बैंक"** चुनें।
- PPO Number में अपना **बैंक द्वारा जारी** पूरा पी.पी.ओ. नं0 भरें, **(अधूरा न भरें), पेंशन खाता नं0 में** – उस खाते का नं0 भरें जिसमें पेंशन प्राप्त हो रही है।
- Is Re Employed एवं Is Re Married में Yes या No जो भी स्थिति हो भरें।
- आधार नं0 के लिए सहमति देने के लिए चेक बाक्स में टिक करें।

अब **Scan Finger** को क्लिक करके **Finger Scan** करें । **Finger Scan** करते ही पेंशनर का जीवित प्रमाण पत्र दर्ज हो जाता है और इसका प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। बैंक का पेंशन प्रकोष्ठ अपने स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का विवरण डाउनलोड करके संबंधित अभिलेखों में विवरण दर्ज कर लेगा। **किसी भी पेंशनर को इसका प्रिंट बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।**

पेंशनर द्वारा स्वयं– जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनर को– **1.** अपने कम्प्यूटर अथवा एण्ड्रायड फोन पर जीवन प्रमाण अप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा **2.** रजिस्टर्ड बायोमीट्रिक डिवाइस लेकर उसकी **RD Service** इंस्टाल करनी होगी व **3.** आधार के द्वारा अपने कम्प्यूटर/फोन पर यूजर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शेष प्रक्रिया उपरोक्त प्रकार से ही पूरी करनी होगी। किसी असुविधा की स्थिति में जीवन प्रमाण की वेबसाइट से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

किसी कारणवश यदि जीवित प्रमाणपत्र आनलाइन दाखिल न हो सके तो पेंशनर, कारण दर्शाते हुए, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संलग्न प्रारुप पर जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे प्रार्थना पत्र व जीवित प्रमाणपत्र प्रत्येक सप्ताह प्रधान कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में आप सभी से अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषयवस्तु को सभी पेंशनर्स के संज्ञान में लाएं जिससे शत प्रतिशत जीवित प्रमाण पत्र आनलाइन प्राप्त किए जा सकें एवं पेशन वितरण निर्बाध रुप से जारी रह सके, और पेंशनर्स को असुविधा न हो।

भवदीय

(कृष्ण कुमार कश्यप)
महाप्रबंधक

संलग्नः जीवित प्रमाणपत्र का प्रारुप

प्रधान कार्यालय : बुद्व विहार व्यवसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर–273016, टेलीफोन : 0551–2230210
Head Office : Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur-273016 Telephone : 0551-2230210
e-mail : ho@barodauprrb.co.in

FORMAT - 6

……………..…………. STAFF PENSION* (GENERAL PENSION)		**Customer ID**	
……………………….. FAMILY PENSION*		**S B A/C No**	

(**Please √ as applicable)*

LIFE CERTIFICATE

(To be submitted by the Pensioner once in a year in November)

Certified that I have seen the pensioner …………………………………………. (name) ……… ……..……(address) holder of PPO No………………………..………………………… and that he /she is alive on this day. His / Her AADHAAR No …………………………...

(Signature of the Pensioner/Family Pensioner with date)

(Signature with office seal)

Date:…………………….

Name:……………………………………………….

Place:…………………

Designation:…………………. ,... …………….. ……